ऑन लाईन नं. RCMS 2013/.....

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 69/2013

1. भगवानराम पुत्र धर्मपाल जाति नायक निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. बलुराम पुत्र रामचन्द जाति धानक निवासी चक 18 पी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार (राजस्व) हिन्दूमलकोट।

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :

1. श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता अपीलार्थी
2. राजकीय अधिवक्ता

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्व इन्तकाल नम्बर 514 दिनांक 08.08.2013 उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट जिसकी रूह से चक 5 एफ बड़ा के खाता सख्या 48 मुरब्बा नम्बर 15 की 1.491 हैक्टर भूमि का इन्तकाल गलत यक्ततरफा तौर से रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 के नाम से तस्दीक करने का आदेश पारित किया गया है बमुराद मन्सूखियां।

:: आदेश :: **दिनांक :– 28.02.2022**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि इन्तकाल जेर अपील जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल अपील हाजा है गलत, खिलाफ कानून होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। अदालत मातहत के समक्ष यह स्पष्ट था कि उक्त आराजी के सम्बन्ध में फौजदारी प्रकरण सिविल कोर्ट में प्रकरण व राजस्व न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन है मगर फिर भी इस समस्त को अनदेखा करके चुपचाप ही स्थगन आदेश निरस्त होने का अनुचित लाभ उठा कर इन्तकाल करवाया व किया गया है जबकि स्थगन आदेश निरस्त करने के आदेश के खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर में भी अपील विचाराधीन है। अदालत मातहत ने ना तो कब्जा की जांच की ना ही इन्तकाल नियमों की पालना की तथा ना ही कोई भी कानूनी अथवा न्यायिक प्रकिया को ही अपनाया गया है, ना ही लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेश एवं प्रावधानों की पालना की गई है ना तो मजमेआम में जांच की गई ना ही किसी प्रकार से धर्मपाल को कोई नोटिस दिया गया ना ही अपीलांट को बुलाया गया। उक्त आराजी जदीजायदाद है तथा अपीलान्ट का इस में हक हिस्सा बनता है तथा पहले से ही मुकदमात विभिन्न अदालतो में भी इसी आधार पर चल रहे है। अतः अपीलान्ट प्रभावित को बिना बिना बुलाए सुने ही आदेश पारित किया गया है। बैयनामा शुन्य है तथा मन्सुखी का दावा भी चल रहा है। इस प्रकार से अदालत मातहत को चाहिए था कि वह पहले कानूनी प्रकिया अपनाते, आपत्ति की सूचना प्रकाशित करते, किसी दैनिक समाचार पत्र में जिसका वितरण गांव कोनी में होता है में प्रकाशित करवाया जाता ताकि आपत्ति पेश की जाती मगर इस प्रकार की कोई प्रकिया नहीं अपनाई गई। सभी प्रभावित को यानि धर्मपाल को उसके परिवार वालो को क्योंकि उक्त आराजी जदीजायदाद है सूचना देकर बुलाया जाता। मजमेआम में जांच की जाती। तथाकथित बैयनामा के बारे में भी जांच की जाती उसके बाद ही इन्तकाल का कोई आदेश दिया जाता व आदेश देने के बाद इन्तकाल दर्ज कर पेश करने पर तस्दीक किया जाता मगर ऐसी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

कोई प्रकिया नहीं अपनाई गई। इन्तकाल के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पटवारी ने इसको 04.01.2012 को दर्ज किया व आर.आई.ने इस को 04.01.2012 को मिलान करके रिपोर्ट की जबकि इन्तकाल 08.08.2013 को किया गया है। अतः करीब पोने दो साल तक तस्दीक ना करने का क्या कारण है इस पर गौर नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अदालत मातहत को इस रकबा के सम्बन्ध में चल रही समस्त कार्यवाहीयों व समस्त मुकदमात के बारे में जानकारी थी तथा स्थगन आदेश खारिज होने के बाद जानबूझकर इन्तकाल तस्दीक कर दिया गया जबकि दावे के विचराधीन होने से ऐसा इन्तकाल स्पष्ट ही मुकदमात के दौरान होने से शुन्य व निरस्तनीय है। इन्तकाल मिलीभगत का स्पष्ट परिणाम भी है क्योंकि कथित बैयनामा जिसके आधार पर इन्तकाल करने का आदेश दिया गया है 09.12.2011 का है जबकि इन्तकाल 08.08.2013 यानि दो साल बाद किया गया है। इससे यही स्पष्ट होता है कि वास्तव में मामला विवादित था। अतः अदालत मातहत को चाहिए था कि वह इन्तकाल ना करके यह आदेश देती कि जब तक समस्त मुकदमात का निर्णय नहीं हो जाता है इन्तकाल नहीं किया जा सकता है मगर ऐसा ना करके भारी भूल की है। अपीलांट को इन्तकाल की जानकारी दिनांक 09.09.2013 को पटवारी हल्का से जब दौराने बातचीत पूछा तो पता चला कि इन्तकाल हो चुका है इस पर उसी रोज नकल हासिल करके यह अपील पेश की जा रही है जो कि इल्म से अन्दर मियाद है। दरखास्त दफा 5 एक्ट मियाद हल्फनामा पेश है। लिहाजा अपील पेश कर अर्ज है कि अपील स्वीकार की जाकर जेर अपील को निरस्त करने का हुक्म फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अदालत के समक्ष यह स्पष्ट था कि उक्त आराजी के सम्बन्ध में फौजदारी प्रकरण सिविल कोर्ट में व राजस्व न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन है मगर फिर भी इस समस्त को अनदेखा करके चुपचाप ही स्थगन आदेश निरस्त होने का अनुचित लाभ उठा कर इन्तकाल स्वीकृत किया गया है जबकि स्थगन आदेश निरस्त होने के खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर में भी अपील विचाराधीन थी। अदालत द्वारा ना तो कब्जा की जांच की ना ही इन्तकाल नियमों की पालना की, ना ही कोई कानूनी अथवा न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया गया है, ना ही लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स के आदेश एवं प्रावधानों की पालना की गई है। उक्त आराजी जदीजायदाद है तथा अपीलान्ट का इस में हक हिस्सा बनता है अतः अपीलान्ट प्रभावित को बिना बिना बुलाए सुने ही आदेश पारित किया गया है। बैयनामा शुन्य है। सभी प्रभावित को यानि धर्मपाल को उसके परिवार वालो को क्योंकि उक्त आराजी जदीजायदाद है सूचना देकर बुलाया जाता। मजमेआम में जांच की जाती। तथाकथित बैयनामा के बारे में भी जांच की जाती उसके बाद ही इन्तकाल का कोई आदेश दिया जाता व आदेश देने के बाद इन्तकाल दर्ज कर पेश करने पर तस्दीक किया जाता मगर ऐसी कोई प्रकिया नहीं अपनाई गई। इन्तकाल के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पटवारी ने इसको 04.01.2012 को दर्ज किया व आर.आई.ने इस को 04.01.2012 को मिलान करके रिपोर्ट की जबकि इन्तकाल 08.08.2013 को किया गया है। अतः करीब पोने दो साल तक तस्दीक ना करने का क्या कारण है इस पर गौर नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अदालत मातहत को इस रकबा के सम्बन्ध में चल रही समस्त कार्यवाहीयों व समस्त मुकदमात के बारे में जानकारी थी तथा स्थगन आदेश खारिज होने के बाद जानबूझकर इन्तकाल तस्दीक किया गया है। दावे के विचराधीन होने से ऐसा इन्तकाल स्पष्ट ही मुकदमात के दौरान होने से शुन्य व निरस्तनीय है। इससे यही स्पष्ट होता है कि वास्तव में मामला विवादित था। अतः अदालत मातहत को चाहिए था कि वह इन्तकाल ना करके यह आदेश देती कि जब तक समस्त मुकदमात का निर्णय नहीं हो जाता है इन्तकाल नहीं किया जा सकता है मगर ऐसा ना करके भारी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेर अपील को निरस्त करने का हुक्म फरमाया जावें।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को आदेशिका दिनांक 18.11.2015 के अनुसार विधिवत् तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं । अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही होने के बाद आज दिनांक तक उपस्थित नहीं ।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा चक 5 एफ बड़ा के खाता संख्या 48 मुरब्बा नम्बर 15 की 1.491 हैक्टर रकबा का इन्तकाल संख्या 514 दिनांक 08.08.2013 जो स्वीकृत किया गया है वहस पूर्ण जांच उपरान्त स्वीकृत किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि इन्तकाल संख्या 514 स्वीकृत दिनांक 08.08.2013 को स्वीकृत किया गया है। उक्त विवादित भूमि केता बालूराम द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 09.12.2011 को कय की गई। पत्रावली में उलब्ध दस्तावेजात अनुसार उक्त बैयनामा को आज दिनांक तक किसी सिविल न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है। नायब तहसीलदार हिन्दूमलकोट द्वारा इन्तकाल संख्या 514 दिनांक 08.08.2013 को जो स्वीकृत किया गया है वह सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के प्रकरण संख्या 03/2012 अनवानी भगवानाराम बनाम धर्मपाल वगैरा निर्णय दिनांक 29.07.2013 द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के बाद स्वीकृत किया गया। अगर अपीलांट उक्त बैयनामा से असंतुष्ट है तो उक्त बैयनामा को कैन्सिल करवाने के लिए अलग से सिविल न्यायालय में चाराजोही करें। रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। फलस्वरूप अपील अपीलांटस अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति मय रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 28.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह संवत)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन),श्रीगंगानगर